संख्या-224/2018/542रासनि/23-1-18-787रासनि/16

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 18 दिसम्बर, 2018**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 24 मार्गों के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(संलग्न तालिका के कॉलम-2 के अनुसार) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक के विवरणानुसार **विभिन्न जनपदों के 24 मार्गों के कार्य** हेतु लागत **रू0 36,40,56,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ चालीस लाख छप्पन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से **कुल रू0 25,53,38,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ तिरपन लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित** किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2019 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर औचित्य का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(9) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(10) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) विभाग द्वारा यथावश्य वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-542रासनि(1)/23-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-224/2018/542रासनि/23-1-18-787रासनि/16, दिनांक 18.12.2018 का संलग्नक

¼/kujkf'k: 0 yk[k esa½

Ø-l	e[; vfHk;rk¼e0&1½ dk i=kd	ekx ;fud dkM	tuin	dk; dk uke	yEckb ¼fd0eh0 e½	ykxr	voeDr /kujkf'k
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2709 lh @357 lh@mUuko@Hkkx&5 @18&19 fnukd 15-10-18	260054	Unnao	mifjxkeh lr dk igp ekx ¼nkLrhuxj ckbikl½	1.25	123.72	123.72
2	2108 ¼1½ lh @373 lh @JkoLrh@ Hkkx&1@18&19 fnukd 01-11-18	510172	Sharawati	bdkuk Vkmu ekx ,u0,p0&730 d fdeh 300 l ,u0,p0&730 d fdeh 302 dk tkMu okyk vkcknh Hkkx d fdeh 1¼350½ ,o fdeh 2¼800½ e lh0lh0 ekx ,o fdeh 1¼650½ e MCy0,e0,e0 y;j d lkFk ih0lh0 ,o 600 eh0 yEckb e nkuk vkj ukyh fuek.k dk dk;A	1.80	284.38	142.19
3	3069 lh @343 lh @dkuij ngkr@ Hkkx&12@18&19 fnukd 19-11-18	330071	Kanpur dehat	uohij xtuj ekx d fdeh 1 e fo'k"k ejEer dk dk;A	1.00	81.43	81.43
4	2683 ¼1½ lh @371 lh@ckjkcdh@Hkkx& 11@18&19 fnukd 1-11-18	460103	Barabanki	HkkueÅ tnij lQnjxt cnkljk; ekx d fdeh 15] 16¼300½ e fo'k"k ejEer dk dk;A	1.30	82.08	82.08
5	3043 lh @359 lh @pUnkyh@Hkkx&12 @18&19 fnukd 16-11-2018	660113	Chanduali	pUnkyh /kjkyh ekx d fdeh 1 l 9-20 fdeh d lrg l/kkj l fo'k"k ejEer dk dk;A	9.20	262.02	131.01
6	2907 lh @360 lh@xkthij@Hkkx71 1@18&19 fnukd 31-10-18	650078	Ghazipur	y{ehij ukugjk ;lQij ekx d uohuhdj.k dk dk; fdeh 4] 5] 6]7]8]9]10]11]12]13]14]15]16	13.00	114.05	114.05
7	2907 lh @360 lh@xkthij@ Hkkx&11@ 18&19 fnukd 31-10-18	650284	Ghazipur	vdVgh dkjk egUn xkMgj ekx d uohuhdj.k dk dk;A fdeh 1 l 6	6.00	54.76	54.76
8	2676 ¼1½ lh @375 lh@cyjkeij@Hkkx &11@18&19 fnukd 01-11-18	520100	Balrampur	cygk xkjk bVok ekx d put 18-300 l 20-400 rFkk 25-400 l 30-400 rd d Hkkx dk fo'k"k ejEer d lkFk uohuhdj.k dk dk;A	7.10	81.26	81.26
9	38@ih0t011@40ih0 t0] fnukd 12-10-18	080058	BAGPAT	xke uxyk&dkdkj&Nijkyh& gok&yEc¼vU; ftyk ekx½ dh fo'k"k ejEer dk dk dk;	6.00	121.81	121.81
10	3040 lh @392 lh@fl}kFkuxj fnukd 16-11-18	540007	SIDDARTH NAGAR	idMh mn;ij ekx dh fo'k"k ejEer dk dk;A fdeh 2] 3] 4] 5] 6] 7	6.00	175.39	175.39
11	3051lh@392lh@ fl)kFkuxj@Hkkx&3] fnukd 16-11-18	540215	SIDDARTH NAGAR	,Q0,u0ch0,l0 l fljor lluk egyk tMhdb;k tkxhokjh [kory feJ gkr g, 'kkgjrx< pfr;k¼cHkuh½ ekx dk fo'k"k ejEer dk dk; fd0eh0 7]8]9]10¼900½	3.90	48.14	48.14
12	3051lh@392lh@ fl)kFkuxj@Hkkx&3] fnukd 16-11-18	540210	SIDDARTH NAGAR	mldk lkgkl ekgkuk lEid ekx dk fo'k"k ejEer dk dk;A fd0eh0 1]3¼400½]7]8¼500½] 9]10¼500½]9]11]12]13]15]17¼600½] 18]19]20]21	12.00	134.06	134.06
13	2079 ¼2½ lh@27 lh @dUukt	300226	Kannauj	xjlgk;xt ckbikl ¼vU; ftyk ekx½ ekx dh ejEer dk dk;A	3.30	73.64	73.64

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Ø-l	e[; vfHk;rk@e0&1 dk i=kd	ekx ;fud dkM	tuin	dk; dk uke	yEckb ¼fd0eh0 e½	ykxr	voeDr /kujkf'k
1	2	3	4	5	6	7	8
	fnukd 3-11-18						
14	2079 ¼2½ lh@27 lh @dUukt fnukd 3-11-18	300229	Kannauj	xjlgk;xt ltuljk; rkgij ¼vU; ftyk ekx½ ekx dh ejEer dk dk;A	18.00	314.71	157.35
15	41@ih0t011@40ih0 t0] fn0 01-11-18	020269	Muzaffar nagar	ijckfy;ku ijk efkcjdij /kuk;u 'kkgij ekx dk ln<hdj.k dk dk; fd0eh0 1 l 6-50 rd	6.50	222.41	111.21
16	41@ih0t011@40ih0 t0] fn0 01-11-18	020278	Muzaffar nagar	eljij l fl[kMk v0ft0ek0 ij ln<hdj.k dk dk;] put 0-250 l 8-960 rd	8.71	247.08	123.54
17	3041lh@372lh@ cgjkbp] fnukd 16-11-18	500004	BAHRAICH	xk;?kkV&drfu;k?kkV dkfM;kyk?kkV ekrhij&fu?kklu ify;k¼i0ft0ek0&149b½ d fd0eh0 15 l 27 o 30 l 42 e fo'k"k ejEer dk dk;	26.00	429.87	214.94
18	3041lh@372lh@ cgjkbp] fnukd 16-11-18	500538	BAHRAICH	ih0ch0ch0 ekx l pkneKjh gkr g, ch0,Q0,0 ekx dh fo'k"k ejEer dk dk;] fd0eh0 1]2]3¼960½	2.96	141.99	141.99
19	1034 ¼1½ lh @346 lh&Q: [kkckn @ey@18&19 fnukd 20-6-18	310176	ETAWA	cyjb l ljkeb cgek.kh noh uxyk rkj ekx dh fo'k"k ejEer dk dk;A	5.00	53.40	53.40
20	2273 lh @344 lh @bVkok @Hkkx&14@18&19 fnukd 19-9-18	310192	Etawah	ljlb ukoj l rk[kk ekx ij uohuhdj.k dk dk;A	11.50	201.91	100.96
21	2069 ¼1½ @344 lh @bVkok @ Hkkx&10 @ 18&19] fnukd 1-10-18	310195	Etawah	pkfc;k dEgkoj ekx dh ejEer dk dk;A	4.60	51.62	51.62
22	2069 ¼1½ @344 lh@bVkok@ Hkkx&10@ 18&19] fnukd 1-10-18	310194	Etawah	fo'k"k ejEer d vUrxr ,u0,p0&92 ij xxkijk [kMk gy elukb iUtk uxyk ihiy uxyk Hkxr ekx ij uohuhdj.k dk dk;A	6.70	73.85	73.85
23	2069 ¼1½ @344 lh @bVkok@ Hkkx&10@ 18&19] fnukd 1-10-18	310092	Etawah	djh ify;k lÅljkgkj rd ekx ij fo'k"k ejEer d lkFk uohuhdj.k dk dk;A	9.10	212.01	106.01
24	3037 ¼1½ lh@ 344lh@bVkok@ Hkkx&2@ 18&19 fnukd 15-11-18	310027	Etawaha	pkfc;k dEgkoj ekx put 4-650 l 10-000 rd uohuhdj.k dk dk;A	5.35	54.97	54.97
				;kx		3640.56	2553.38

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in